

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प

दिनांक :- 28/10/2021

प्रकरण संख्या / 716/2021 प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

उनवान

श्री. प्रह्लाद पुत्र गोकल
बैरवा

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,
पटवारी हल्का बैरी भू अ. नि. बाकडी एवं नायब तहसीलदार
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कालरा प. ह. बैरी
की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 172 में
प्रार्थीगण की प्रविष्टि प्रह्लाद पुत्र गोकल चमार
के स्थान पर प्रह्लाद पुत्र गोकल बैरवा
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

tu
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री प्रह्लाद पुत्र गोकल बैरवा
3. रक्षित पत्रावली

tu
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा